भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3576
जिसका उत्तर मंगलवार 11 अगस्त, 2015 को दिया जाना है

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के पास अधिशेष भूमि

3576. श्री सी० एन० जयदेवन:

श्री अभिषेक बनर्जी:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विभिन्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों (सीपीएसयू) के पास उपलब्ध अधिशेष भूमि का सीपीएसयू-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का कोई विचार सीपीएसयू के पास उपलब्ध अधिशेष भूमि का उपयोग करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा पीएसयू के पास अतिरिक्त भूमि को चिन्हित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र भूमि विकास प्राधिकरण (पीएसएलडीए) को शुरू करने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क): इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) के पास अधिशेष भूमि होने की कोई सूचना नहीं है।

(ख): प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ): सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र भूमि विकास प्राधिकरण को शुरू करने का कोई निर्णय नहीं लिया है।

*****